# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2609/2024**

रामगोपाल मीणा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उप निदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 23.08.2024
**आदेश की दिनांक** : 02.09.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सारा प्रवीण/सलीम खान, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से वर्तमान पदस्थापन स्थान से विधानसभा प्रकोष्ठ निदेशालय, जयपुर किया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है एवं बिना विवेक का प्रयोग आदेश जारी किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले के विपरीत जाकर स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध

है। अपीलार्थी स्वायत्त शासन विभाग का कर्मचारी है और उसे विधानसभा प्रकोष्ठ निदेशालय में स्थानान्तरण किया गया है, जबकि उक्त संबंध में कोई सहमति नहीं ली गई है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2024 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से विधानसभा प्रकोष्ठ निदेशालय, जयपुर किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय) जयपुर से विधानसभा प्रकोष्ठ निदेशालय, जयपुर में लगाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को जयपुर शहर के अंदर ही कार्यरत रखा गया है, जिसमें हम राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के विपरीत अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं समझते हैं। चूंकि अपीलार्थी को जयपुर शहर के अंदर ही प्रशासनिक कारणों से निदेशालय में लगाया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर लोकहित में ली जानी हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में हमें कोई बल प्रकट नहीं होता है। इसलिये अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**